न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 32/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बसन्त पुत्र रामजस उर्फ रामजससियाराम जाति विश्नोई निवासी बिचपुडी तहसील सांजू जिला नागौर।		1 रामजस उर्फ रामजससियाराम पुत्र नाथाराम विश्नोई निवासी बिचपुडी तहसील सांजू जिला नागौर। 2 कविता पुत्र रामजस उर्फ रामजससियाराम जाति विश्नोई निवासी बिचपुडी तहसील सांजू जिला नागौर। 3 तहसीलदार सांजू।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भागीरथ चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.07.2023

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सांजू द्वारा मौजा बिचपुडी के नामान्तरकरण सं. 102 निर्णय दिनांक 01.07.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.07.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 27.07.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 102 दिनांक 01.07.2022 की प्रमाणित फोटोप्रति, दानपत्र की फोटोप्रति, मौजा बिचपुडी की जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत् 2075 से 78 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना के मुकदमा संख्या 147/22 के फर्दअहकाम दिनांक 04.07.2022 की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट 1955 की फोटोप्रति तथा वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से दानपत्र की फोटोप्रति, ग्राम बिचपुडी की जमाबंदी संवंत् 2075 से 78 की फोटोप्रति व ग्राम बिचपुडी की सम्वत् 2059 से 62 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– खेत खसरा नम्बर 156/1 रकबा 0.2625 हैक्टर किस्म जमीन बाराणी अपीलांट के दादा नाथाराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी बिचपुडी के कब्जे काश्त व खातेदारी का था। उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामजस उर्फ रामजससियाराम के खातेदारी व बंट मे दर्ज हुई। उक्त खसरा नम्बर 156/1 का कुल रकबा 1.05 हैक्टर था। जिसमें से 0.2625 हैक्टर रेस्पोडेंट संख्या 1 के बंट व खातेदारी में तथा शेष रकबा उनके अन्य पुत्र रामलाल, रतनाराम, भागीरथराम, रामस्वरूप के बंट में रखा गया चूंकि खसरा नम्बर 156/1 रकबा 0.2625 पुश्तैनी भूमि होने से अपीलांट का भी उसमें हक व हिस्सा है तथा कब्जा है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपीलांट की सहमति के बिना उक्त भूमि का हस्तानान्तरण करने व बख्शीशनामा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपील में रेस्पोडेंट संख्या 2 अपीलांट के साले बलराम की पत्नी है और पिछले कुछ समय से रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट के साले बलराम व उसके पिता रामेश्वरलाल से नाराज है तथा इनके आपस मे फौजदारी मुकदमें भी हरे रखे है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा रिस्तेदारी में बिना किसी वजह के विवाद करने व लडाई झगडा करने से रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 को मना करता रहा है व उनके झूठे मुकदमें में भाग नहीं ले रहा है इस वजह से रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 अपीलांट से भी नाराज हो गये और अपीलांट व उसकी पत्नी को पुश्तैनी चल व अचल सम्मति से वंचित करने पर आमादा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 रेस्पोडेंट संख्या 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम की सारी चल व अचल सम्पति अकेली हडपना चाहती है। इसलिये अपीलांट की बिना जानकारी के छुपे तौर से खेत खसरा नम्बर 156/1 रकबा 0.2625 हैक्टर का बख्शीशनामा दिनांक 28.04.2022 को निष्पादित करवाकर पंजियन करवा लिया जबकि उक्त बख्शीश नामें की पालना में रेस्पोडेंट संख्या 2 को खेत खसरा नम्बर 156/1 का भौतिक रूप से कोई कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

अपर कलक्टर, नागौर

वादग्रस्त खेत पर आज दिन भी अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि के हस्तानान्तररण करने का संदेह उत्पन्न हुआ तो उसने अदालत सहायक कलक्टर डेगाना के समक्ष दिनांक 04.07.2022 को वाद पेश किया व दिनांक 04.07.2022 को ही सहायक कलक्टर डेगाना ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्यों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। तब तक उक्त भूमि का बख्शीसनामें के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम नामान्तकरण भरा जाकर स्वीकार नहीं किया गया था और न ही खतौनी में रेस्पोडेंट संख्या 2 बतौर खातेदारा दर्ज थी। मगर स्थगन आदेश की जानकारी होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक तथा कार्यवाहक तहसीलदार सांजू से मिलावट करके 04.07.22 से पूर्व की तारीख में नामान्तरकरण भर कर दिनांक 01.07.2022 को उक्त नामान्तरकरण को रेस्पोडेंट संख्या 3 से स्वीकार करने का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश जैर अपील पारित करवा लिया। उपरोक्त नामान्तकरण स्वीकृति का आदेश जैर अपील अवैध व शुन्य है जो निरस्त होने योग्य है।

{2}(II)– वादग्रस्त खेत का नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 30.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा भरा जाना बताया गया है जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 30.6.2022 तक गांवों में राजस्व अभियान चल रहा था इसलिए अगर 30.06.2022 को नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा जाता तो उसी दिन भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट लेकर तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर दिया जाता। मगर दिनांक 30.06.2022 को ग्राम बिचपुडी में कोई राजस्व अभियान का केम्प निरीत नहीं था। उस दिन पटवारी हल्का ग्राम बिचपुडी में नहीं आया क्योंकि राजस्व अभियान के केम्प में अन्य गांवों में व्यस्त था। इसलिए स्पष्ट तौर पर उक्त नामान्तरकरण सहायक कलक्टर डेगाना के स्थगन आदेश 04.07.2022 की जानकारी होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से दिनांक 30.06.2022 की तारीख में नामान्तरकरण भरवाया व दिनांक 01.07.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट करवाकर उसी दिन दिनांक 01.07.2022 को नायब तहसीलदार सांजू (कार्यवाहक तहसीलदार सांजू) से नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया। उक्त सारी कार्यवाही पीछे की तारीखों में पोसिदा तौर पर की गई है। इसलिये नामान्तरकरण स्वीकृती आदेश जैर अवैध होने से निरस्त होने योग्य है।

{2}(III)–उक्त नामान्तरकरण राजस्व अभियान के दौरान नहीं भरा गया था इसलिए तहसीलदार सांजू को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने का अधिकार नहीं था बल्कि उक्त नामान्तरकरण ग्राम बिचपुडी की ग्राम पंचायत राजोद को स्वीकृत करने का अधिकार था। इसलिये दिनांक 30.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया नामान्तरकरण जैर अपील भू–निरीक्षक की रिपोर्ट के पश्चात ग्राम पंचायत राजोद के समक्ष निर्णय के लिये पेश करना चाहिये था। पर नायब तहसीलदार/तहसीलदार सांजू का आदेश नामान्तरकरण स्वीकार करने का विधिनुसार अधिकार नहीं होने के कारण नामान्तरकण स्वीकृति का आदेश जैर अपील अवैध व शुन्य है।

{2}(IV)–उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व बख्शीसनामें की वैधता की मौके पर दानग्रहिता के कब्जे की कोई जांच नहीं की और न ही उक्त पुश्तैनी भूमि के हकदार व काबिज काश्तकार अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया। इसलिए उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अवैध व शुन्य है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया ग्राम बिचपुडी के खसरा नम्बर 156/1 की भूमि दिगर खेताय के साथ साथ बंटवाडे में आयी थी जो बाद बंटवाडा स्वअर्जित मानी गई है व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 02 को जरिये दान पत्र दी थी व उक्त दान पत्र उपपंजियक सांजू द्वारा पंजिबद्व किया गया व उक्त गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है व रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद जांच नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था, उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र आज दिन तक किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त या शून्य घोषित नहीं किया गया है तो ऐसे में रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को चुनौती देने का अपीलांट को कोई कानूनन अधिकार नहीं है एवं अपीलांट ने अपील में दिनांक 04.07.2022 को सहायक कलक्टर डेगाना द्वारा स्थगन आदेश पारित करना बताया है। लेकिन अपीलांट ने जिस नामान्तरकरण को चुनौती दी है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 01.07.2022 को ही स्वीकृत हो गया था व उसका ऑनलाईन इन्द्राज भी दिनांक 01.07.2022 को हो गया, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त नामान्तरकरण स्थगन आदेश के बाद में प्रस्तावित व स्वीकृत किया गया हो एवं अपीलांट ने ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु पेश नहीं करने का कथन किया है व 45 दिन की अवधि पूर्ण हुए बिना ही तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण गलत स्वीकृत करने का कथन किया है जबकि उक्त दानपत्र दिनांक 28.04.2022 को निष्पादित होकर पंजियन हुआ था व उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार ने करीब 65 दिवस बाद अर्थात दिनांक 01.07.2022 को स्वीकृत किया था तो 45 दिन पूर्ण नहीं होने का अपीलांट का कथन गलत है। खसरा नम्बर 156/1 का अपीलांट न तो रेकडेर्ड खातेदार है न ही काबिल कास्तकार है एवं न ही

अपर कलक्टर, भागीर

अपीलांट पूर्व में कभी इस खेत का खातेदार ही रहा हैतो ऐसे में तृतीय पक्ष को उक्त नामान्तरकरण को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

{4}—उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सांजू द्वारा मौजा बिचपुडी के नामान्तरकरण सं. 102 निर्णय दिनांक 01.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण एक पंजीबद्व दानपत्र के आधार पर भरा गया होना प्रतीत होता है जो एक रेकडर्ड खातेदार ने अपनी स्वेच्छा से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में निष्पादित कर पंजीयन करवाया जाना प्रतीत होता है एवं पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में ही होना है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर